मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ-2-2/2014/सात/शा.6 भोपाल, दिनांक 03 मार्च, 2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषयः प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में साहूकारों द्वारा दिए गये ऋण वसूली से संबंधित निर्देश।

मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत साहूकार ऋण अधिदाय का कारोबार करते हैं और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप लेखा रखने और देनदार ऋण को उसकी विवरणीयां प्रदाय करने के लिये उत्तरदायी हैं, साथ ही अधिनियमों के प्रावधान अंतर्गत ऋण उगाही के लिये अधिकृत हैं। साहूकार का यह कारोबार सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित है।

2/ ज्ञातव्य हो कि प्रदेश में मानसून 2013 के दौरान अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति से प्रदेश में अधिकांश किसानों को खरीफ फसलों की हानि उठानी पड़ी हैं और अभी माह फरवरी, 2014 के अंतिम सप्ताह में असामायिक वर्षा एवं ओलावृष्टि से भी प्रदेश में रबी फसलों की व्यापक क्षति हुई है। ऐसी स्थिति में यह संभावना है कि साहूकारों द्वारा दिए गये ऋण की अदायगी के लिये प्रदेश के कृषक वर्तमान स्थिति में सक्षम न हो।

3/ उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि उनके जिले में कार्यरत् साहूकार के लेखे एवं विवरणियों की सतत् समीक्षा की जाए और इस बात की निरंतर निगरानी रखी जाए कि साहूकार अपने देनदार से ऋण वसूली के लियें कोई अवैधानिक दवाब बनाने का प्रयास न करें। सतत् निगरानी से यह सुनिश्चित् किया जाए कि ऋण के दवाब में देनदार कृषकों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

4/ कलेक्टर अपने जिले के समस्त उपखंड अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह साहूकार अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके क्षेत्र में कार्यरत् साहूकारों की तुरन्त बैठक बुलाकर उन्हें इस संबंध में सख्त निर्देश देवे। उपखंड अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत् साहूकारों के कारोबार की पाक्षिक समीक्षा करें, उनसे समयकालिक लेखे एवं विवरणियां प्राप्त करें और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावित कृषकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके साथ साहूकारों को सदाशय पूर्वक व्यवहार करने हेतु निर्देश दिये जायें।

5/ यदि किसी साहूकार के द्वारा मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 के प्रावधानों का उल्लंघन या अपालन पाया जाए तो ऐसे साहूकार के विरूद्ध तत्काल कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित् की जाए।

3/3/14

(आर.के. चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्रमांक एफ-2-2/2014/सात/शा.6 भोपाल, दिनांक 03 मार्च, 2014

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. आयुक्त, भू–अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश।
8. संयुक्त संचालक, जन सम्पर्क, (वल्लभ भवन प्रकोष्ठ), भोपाल।
9. निज सचिव, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश, भोपाल।

3-3-14

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग